1.22 करोड़ के 292 लैपटॉप चोरी की वारदात का खुलासा, तीन गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से 70 लाख कीमत के चोरी के 190 लैपटॉप बरामद किये

सांभरझील, (निसं)। लैपटॉप चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मोखमपुरा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 लाख की कीमत के चोरी के 190 लैपटॉप बरामद किये हैं।

आनन्द शर्मा उप महानिरीक्षक पुलिस सह पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने बताया कि इस मामले में परिवादी मुकेश कुमार पुत्र नरपाल सिंह अहीर निवासी खटोटी कला नारलोन जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा ने रिपोर्ट दर्ज करवायी कि 1 मार्च को वाहन लैपटॉप व प्रिन्टर के बॉक्स (मुम्बई) से गुडगाँव जा रहे थे कि रास्ते मे एन 48 गिदानी थाना मौखमपुरा के पास वाहन का चालक शकील व खलासी अलमुद्दीन द्वारा कंटेनर को कैबिन में से काटकर 292 लैपटॉप की चोरी करके फरार हो गये। पुलिस थाना मौखमपुरा पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर ग्रामीण रजनीश पूनियां के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा व वृत्ताधिकारी दूदू दीपक खण्डेलवाल के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी मौखमपुरा संजय प्रसाद मीणा, मुकेश कुमार उप निरीक्षक प्रभारी डीएसटी टीम जयपुर ग्रामीण, योगेश कुमार हैड कानि. डीएसटी जिला भिवाडी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा वारदात में प्रयुक्त वाहनों तथा गैंग के सभी सदस्यों की पहचान की तथा बुधवार को दबिश देकर वारदात में शामिल इरफान मेव को चोरी के 8 लैपटॉप मुल्जिम राहुल कुरैशी व बिलाल पठान को बेचते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 8 लैपटॉप जप्त किये गये। अभियुक्त इरफान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रक को भी मौके से ही जप्त किया गया।

लैपटॉप चोरी मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया।

- पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है

मौके पर लैपटॉप खरीदने वाले आरोपी राहुल कुरैशी व बिलाल पठान को भी गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 32 लैपटॉप व एक स्वीफ्ट कार जप्त की गई हैं। अभियुक्त राहुल कुरैशी व बिलाल पठान ने पूछताछ में बताया कि हमने शाहिल पुत्र वकील कुरैशी निवासी जयसिंहपुरा खादर थाना गोविन्दनगर जिला मथुरा के जरिये अन्य 165 लैपटॉप मुम्बई (महाराष्ट्र) में किसी कोरियर कम्पनी भेज दिए हैं जिस पर पुलिस टीम द्वारा मुम्बई में जाकर कोरियर कम्पनी से 150 लैपटॉप बरामद किये गये हैं। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में चुराये गये 292 लैपटॉपों में से कुल 190 लैपटॉप बरामद किये गये हैं।

बरामद लैपटॉपों की कीमत करीबन 70 लाख आंकी गई है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपी राशिद मेव, गफरू मेव, नईम मेव, तारीफ मेव, चालक शकील, खलासी अलमुद्धीन व शाहिल कुरैशी की पुलिस टीम द्वारा तलाश जारी है। प्रकरण में आरोपियों से अनुसंधान किया जाकर शेष माल की बरामदगी शीघ्र की जायेगी। गिरफ्तार आरोपी इरफान पुत्र मूनसरीफ निवासी मोहम्मदपुर पुलिस थाना नूंह जिला नूह मेवात (हरियाणा), राहुल कुरैशी पुत्र रहीस निवासी दरेशी रोड मनोहरपुरा परचुनी गली मथुरा थाना कोतवाली मथुरा जिला मथुरा (उतरप्रदेश), बिलाल पुत्र समिउद्दीन निवासी जयसिंहपुरा मथुरा थाना गोविन्द नगर मथुरा (उतरप्रदेश) के रहने वाले हैं।

तीन राज्यों का वांटेड आरोपी गिरफ्तार

पाली, (नि.सं.)। पाली के औद्योगिक थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थाई वारंटी नरेंद्र जेठवानी को गिरफ्तार किया। आरोपी उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में वांटेड है। औद्योगिक थाने के एएसआई सम्पतराज ने बताया कि पाली के राजेंद्र नगर विस्तार में रहने वाले नरेन्द्र जेठवानी पुत्र लालचंद लम्बे समय से फरार था। आरोपी के खिलाफ पाली, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ के कोर्ट में 5 स्थाई वारंटी व 8 गिरफ्तारी वारंट में वांटेड है।

तस्कर को पांच साल का कारावास

जालोर, (निसं)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर हारून ने अवैध डोडा-पोस्त की तस्करी करने के आरोपी जेठाराम को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि 7 जून 2018 को सायला पुलिस को मुखबिर की सूचना अनुसार चेचवा गांव में जेठाराम पुत्र भीखाराम जाट अपनी ढाणी पर एक बरामदे में बैठा मिला। उसके पास अवैध डोडा-पोस्त होने की सूचना पर उसके घर की तलाशी लेने पर उसके मकान के स्टोर के अंदर एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा मिला, जिसे खोल कर जांच की गई तो उसमें करीब पांच किलो अवैध डोडा-पोस्त भरा मिला। अवैध डोडा-पोस्त के बारे में पूछताछ करने पर जेठाराम द्वारा जवाब नही देने पर अवैध डोडा-पोस्त बरामद कर आरोपी जेठाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सैशन न्यायाधीश हारून ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ.20 (29) दीक्षान्त / मदसविवि / 2025 / दिनांक :

अधिसूचना - 01

विश्वविद्यालय द्वारा 12वाँ दीक्षान्त समारोह दिनांक 29 मार्च, 2025 को आयोजित किया जायेगा। दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने के लिए प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद के सदस्यों, संकाय अध्यक्षों एवं पी0एचडी0 उपाधि धारकों तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र / छात्राओं को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का कष्ट करें। दीक्षान्त समारोह के कार्यक्रम का विवरण व अन्य जानकारी वैबसाईट पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

कुलसचिव

कार्यालय नगरपालिका, मारवाड जंक्शन (पाली)

E. Mail No - eomarwarj@gmail.com Landline No:- 02935-297877

क्रमांक / नपामाजं. / स्टोर / 2024-25 / 2710 दिनांक 11.03.2025

-: कॉरीजेण्डम निविदा सूचना :-

नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन द्वारा जारी स्टोर निविदा सूचना क्रमांक / 2643-2645 दिनांक 04-03-2025 को जारी की गई है। जिसमे पालिका द्वारा जारी कार्यो में निम्न यू.बी.एन में निविदा की शर्तो में संशोधन जारी किया गया है जिसे वेबसाईड www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

DLB2425SSRC19627	DLB2425SSRC19630	DLB2425SSRC19632
DLB2425SSRC19633	DLB2425GSRC19637	DLB2425GSRC19639
DLB2425GSRC19643	DLB2425GSRC19645	DLB2425GSRC19648
DLB2425SSRC19649	DLB2425GSRC19715	

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन
राज.संवाद / सी / 24 / 13517

कार्यालय नगर परिषद हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज.)

क्रमांक :- 3789 दिनांक - 12.03.2025

ई-निविदा सूचना वर्ष 2025-26

नगर परिषद हिण्डौन सिटी द्वारा वर्ष 2025-26 के तहत स्टोर शाखा / संस्थापन शाखा से सामाग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से ऑनलाईन ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। जिसमें पंजीकृत संवेदको / एन.जी.ओ. / प्लेसमेन्ट एजेन्सियों / उत्पादको / संभरण कर्ताओ एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको से ई-निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण बेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in तथा eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक संवेदको को ई-निविदा में भाग लेने हेतु बेबसाईट eproc.rasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

NIB CODE : DLB2425A6531

सभापति
नगर परिषद हिण्डौन

आयुक्त
नगर परिषद हिण्डौन

राज.संवाद / सी / 24 / 13443

सादुलपुर के युवक ने हिसार में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की

- मृतक युवक की पेंट की जेब से एक सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया
- युवक ने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार द्वारा पैसे ऐंठने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया

सादुलपुर, (निसं)। हिसार के एक होटल में स्थानीय निवासी एक 27 वर्षीय युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक की पेंट की जेब से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है।

प्राप्त पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 32 निवासी मृतक के पिता के बयान अनुसार उसका बड़ा पुत्र उम्र 27 साल है जो वर्ष 2022 में दुबई गया था, आज राजगढ़ पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आपका पुत्र अशोक का शव होटल हिसार में है, कोई अनहोनी की आशंका है। सूचना पर परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे तो हिसार पुलिस मौके पर मिली तथा पुलिस ने मेरी ओर मेरे परिजनों की मौजूदगी में अशोक होटल में बना कमरा नंबर 601 का गेट खोला और देखा कि उसका पुत्र कमरे के अंदर बने बाथरूम में गेट में चादर, तौलिया डालकर अपने गले में फांसी का फंदा लगा रखा था, जिसको मेरे परिजनों की मौजूदगी में पहनी हुई पेंट की जेब से तलाशी ली तो दो पेज का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट को पढ़ा तो सुसाइड नोट में उसके पुत्र ने सादुलपुर निवासी एक युवक तथा उसकी बहिन तथा एक अन्य युवती का नाम लिखकर बताया कि तीनों ने मिलकर उसके पुत्र को मानसिक तौर पर परेशान करके ओर पैसा ऐंठने और डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। मृतक युवक 6 मार्च से होटल में रह रहा था। युवक के पास से मिला सुसाइड नोट यह दर्शाता है कि आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग था। युवक ने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार द्वारा पैसे ऐंठने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हिसार पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

अवैध अफीम की खेती करते एक गिरफ्तार

- 15 किलो 800 ग्राम अफीम के हरे पौधे बरामद किए
- आरोपी ने गेहूं की फसल के बीच अफीम के पौधे उगा रखे थे

नारायणपुर, (निसं)। नारायणपुर पुलिस ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 किलो 800 ग्राम अफीम के हरे पौधे बरामद किए गए हैं।

थानाधिकारी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थानागाजी के ऊँचा ढाणा निवासी रोहित (34) पुत्र मामराज माली अपने रिश्तेदार के गांव भोजपुरी में बंटाई पर ली गई जमीन में अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से अफीम के पौधे जब्त किए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने गेहूं की फसल के बीच एक क्यारी में अफीम के पौधे उगाए हुए थे, जो लगभग चार महीने पुराने थे और उन पर डोडे भी आ गए थे। पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है और उसे गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि कहीं यह कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी इस तरह की अवैध खेती या नशे से जुड़ी गतिविधियां हो रही हों, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

राजस्थान सरकार

राजस्थान धरोहर प्राधिकरण

भू-तल, पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी वाले के सामने), खाला कोठी, जयपुर-302001, Telephone : 0141-2615640, 2615648, Email : rhppa.jaipur@gmail.com

ई-निविदा सूचना संख्या 07/2024-25

निम्नलिखित कार्यो के लिए अनुभवी कंसलटेंट फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

RFP Code : HPP2425RFP0001

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Tender for Consultancy Services for-Preparation of Detailed Project Report for Development of Tourist Facilities and Parikrama Marg for Brij Chourasi Kos in the state of Rajasthan.	65.00 Lakh	3 Months

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक निविदादाताओं को अपने डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है।

राज.संवाद/सी/24/13451 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। मंडाना पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 22.2 ग्राम स्मैक सहित तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ व तस्करों की धरपकड़ को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि मंडाना थाने के उपनिरिक्षक अजय कुमार शर्मा मय जाप्ता इलाके में गश्त कर रहे थे, गश्त के दौरान पुलिस टीम झालावाड़ की तरफ वाले मंडाना बायपास कट के पास करीब पहुंची तो सामने रोड़ पर एक व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस जीप को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस जवानों ने घेरकर डिटेन किया और संदेह होने पर मौके पर तलाशी ली तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ 22.2 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए करबला लाड़पुरा निवासी शराफत कुरैशी (28) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से मामले में अनुसंधान किया जा रहा है।

सोती हुई महिला की चाकू से वार कर हत्या

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी थाना इलाके में मंगलवार देर रात्रि को घर के बरामदे में सो रही महिला पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी, वहीं पास सो रहे भांजे पर भी हमलवार ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक जने को डिटेन किया है। वारदात के पीछे पारिवारीक रंजिश की बात सामने आ रही है।

हमले के बाद महिला की चीख सुनकर घर के अंदर सो रहे परिवार के अन्य लोग बाहर आये जब तक हमलावर मौके से फरार हो गया। दोनों को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं हमले में घायल किशोर का उपचार अस्पताल में जारी है। भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि मंगलवार रात्रि को ढाई बजे के करीब की घटना है। इलाके के हुसैनी नगर निवासी सुमित्रा बाई (42) अपने घर के बरामदे में सो रही थी। पास ही बहन का बेटा अरविंद (17) सो रहा था। थानाधिकारी ने बताया कि परिजनों के अनुसार सामने आया कि एक बदमाश घर में घुसा और धारदार हथियार चाकू से सुमित्रा बाई पर हमला कर दिया और जब पास सो रहे भांजे अरविंद की आंख खुली तो हमलावर उस पर भी चाकू से वार कर मौके से फरार हो गया। मामले में सामने आया कि घटना के समय सुमित्रा के बेटा और बहु अंदर सो रहे थे जो महिला की चीखने की आवाज सुनकर बाहर आये। थानाधिकारी ने बताया कि हमले में महिला सुमित्रा बाई की मौत हो गई एवं भांजा अरविन्द घायल है। थानाधिकारी ने बताया कि मौके पर एफएसएल, एमओबी टीम को बुलाया गया और घटनास्थल का बारिकी से निरिक्षण कराया गया है आसपास के सीसीटीवी फुटैज भी खंगाले जा रहे है।

थानाधिकारी ने बताया कि हमले मे घायल अरविंद ने बताया कि पडौस मे रहने वाला शिब्बु ने चाकू से हमला किया है परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में पड़ौसी शिब्बु उर्फ आमिन को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया से पारिवारिक रंजिश की बात सामने आ रही है डिटेन किये गये आमिन से अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान पूरा होने के बाद ही मामले मे और खुलासा हो पायेगा, जांच जारी है।

पुलिस की तत्परता से जान बची

कोटा, (निसं)। शहर के अभय कमाण्ड सेन्टर के सामने एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने पर पुलिस कांस्टेबलों ने एक व्यक्ति को मौके पर प्राथमिक उपचार देते हुए उसकी जान बचाई। मामले में सामने आया कि एक युवती अपने पिता को लेकर जा रही थी कि अभय कमाण्ड सेंटर के सामने उसके पिता को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और खून की उल्टी होने लगी तो अभय कमाण्ड सेंटर पर स्थापित शहर पुलिस के हेड कांस्टेबल मौहम्मद रफीक ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उस बेटी की मदद की एवं नारायण लाल हेड कांस्टेबल, निरंजन कुमार हेड कांस्टेबल, ताहिर हुसैन हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल अशोक के सहयोग से उस लड़की के पिता को मौके पर सीपीआर देकर उनकी जान बचाई और तुरंत ही कोटा के निजी अस्पताल में उपचार के लिये पहुंचाया, जिसके लिये व्यक्ति के परिवार ने भी कोटा पुलिस को धन्यावाद दिया।

बस व बाइक की भिड़ंत में पिता-पुत्र की मौत

मालपुरा, (निसं)। टोडारायसिंह में रफ्तार के कहर के चलते बुधवार को बासेडा ग्राम के पास रघुनाथपुरा मोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस व मोटरसाइकिल में भिडंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रोडवेज बस की टक्कर से बाईक में लगी आग से बाईक जलकर राख हो गई।

टोडारायसिंह थानाधिकारी ने बताया कि मृतक सोनू के भाई रामलाल की और से बुधवार को सड़क हादसे के बाद दी रिपोर्ट मे बताया कि उसका भाई सोनू व पिता नाथुलाल रेगर निवासी कल्याणपुरा जाटान जो कि अपनी मोटरसाइकिल से खरेडा की और आ रहे थे। इसी दौरान रघुनाथपुरा मोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज के चालक ने लापरवाही बरतते हुये मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। बस व बाइक में हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पिता-पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने दोनों शवों को पुलिस सुरक्षा में ले उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद रोडवेज चालक बस को मौके पर छोड़ फरार हो गया।

इसी प्रकार मंगलवार की देर रात मालपुरा अजमेर सड़क मार्ग पर हाथगी मोड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक प्रधान पुत्र गोपाल बैरवा निवासी देवल्या खुर्द बघेरा थाना केकड़ी की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक प्रधान मालपुरा शहर मे पीओपी का कार्य करता था। मंगलवार की शाम अपने परिचित रिश्तेदार के पास सिंधोलिया जा रहा था। इसी दौरान हाथगी मोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी मे रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा।

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

पता :- सी0ए0डी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा
ई-मेल :- nnksouth@gmail.com website. Kotamc.org

क्रमांक :- ननिकोद / गौशाला / 2025 / 18852-63 दिनांक :- 17.03.2025

संशोधित ई-बिड सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी ई-बिड सूचना क्रमांक ननिकोद / गौशाला / 2025 / 18299-310 दिनांक 03 / 03 / 2025 के लिये दिनांक 17 / 03 / 2025 को सोयाबीन का भूसा आपूर्ति कार्य की ई-निविदा में तकनीकी बिड में संशोधन किया जाता है। इसकी सूचना निगम www.kotamc.org /www.sppp.rajasthan.gov.in /eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र. स.	विवरण	पूर्व दिनांक एवं समय	संशोधित दिनांक व समय
1.	बिड डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से)	दिनांक 04..03.2025 से 17.03.2025 तक	दिनांक 04.03.2025 से 22.03.2025 तक
2.	बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि (वेबसाईट से)	दिनांक 17.03.2025 सायं 6:00 बजे तक	दिनांक 22.03.2025 सायं 6:00 बजे तक
3.	अमानत राशि / बिड शुल्क / प्रोसेसिंग शुल्क Demand Draft जमा करने की अंतिम तिथि(कार्यालय मे)	दिनांक 18.03.2025 सायः 6:00 बजे तक	दिनांक 24.03.2025 सायं 4:00 बजे तक
4.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक 19.03.2025 प्रातः 11:00 बजे	दिनांक 25.03.2025 प्रातः 11:00 बजे

नोटः- शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

उपायुक्त
नगर निगम कोटा, दक्षिण

राज.संवाद / सी / 24 / 13498

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145-2429971, 2429920

क्रमांक :-MEW/2024-25/ 4588 दिनांकः-18.03.2025

:: ई-निविदा सूचना संख्या 58/2024-25 ::

नगर निगम अजमेर की ओर से नगर निगम अजमेर एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमो के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन ईनिविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	राशि 125 लाख (कुल 1 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि	18.03.2025 से 27.03.2025 को 6 pm तक
Technical निविदा खोलने की तिथि व समय	28.03.2025 को 11.00 am पर
Financial निविदा खोलने की तिथि	सफलतम निविदादाता को उचित माध्यम के द्वारा सूचित कर दिया जावेगा।

विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर एवं नगर निगम के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।

Nib Code :-ANN2425A0219

S.No.	UBN No.	S.No.	UBN No.
1	ANN2425WSOB00357		

राज.संवाद / सी / 24 / 13502 अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम अजमेर

ठगों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने का फरार आरोपी गिरफ्तार

- आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया

बौंली-बामनवास, (निसं)। ठगों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के आदेशानुसार एवं सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन एवं एंटीवायरस अभियान के तहत सवाई माधोपुर पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाने की गठित टीम ने पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह रावत आरपीएस के नेतृत्व में शामिल सहायक उप निरीक्षक फैयाज खान, कांस्टेबल नफीस खान, ब्रजराज एवं सहायक उप निरीक्षक राजबब्बर सिंह अनुसंधान कार्य व हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह तकनीकी सहायक की टीम ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज अभियोग में 2 वर्ष से फरार चल रहे वांछित बैंक खाता धारक आरोपी सुरेंद्र सिंह गोंड निवासी बसोहरा पोस्ट कुबरा थाना जयसिंहनगर जिला सहडोल मध्य प्रदेश को बसोहरा से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। आरोपी साइबर ठगों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। दर्ज मामले में साइबर ठगो द्वारा पीड़ित को लालच देकर करीब 6 लाख 52 हजार रुपए की ठगी के दर्ज मामले में शामिल है। साइबर क्राइम पुलिस थाना सवाई माधोपुर द्वारा आमजनों से अपील कि गई ठगों द्वारा लालच दिए जाने पर अपनी आईडी प्रूफ, बैंक खाता, मोबाइल सिम व सोशल मीडिया अकाउंट नंबर उपलब्ध नहीं करावें। आगे भी साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया।

120 फीट गहरे कुएं में गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत

- गोराजी का निंबाहेड़ा में किराए के मकान में पत्नी बच्चों के साथ रहता था

कपासन, (निसं)। कपासन में 120 फीट गहरे कुएं में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना गोराजी का निंबाहेड़ा गांव में मंगलवार रात की है।

कपासन थाना के अंतर्गत गांव रेणकाखेड़ा निवासी गणेश भील (28) पिता रामा भील रेणकाखेड़ा का रहने वाला था और गोराजी का निंबाहेड़ा में किराए के मकान में पत्नी बच्चों के साथ रहता था, और घर कभी-कभी आता था। वहीं मजदूरी करता था। मंगलवार को गणेश भील का शव कुएं में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कुएं में ऊपर पक्षी पकड़ने की प्लास्टिक जाल लगी हुई थी। जाल में एक कबूतर फंसा हुआ था और वह एक तरफ से टूटी हुई थी।

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला।

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। शव को कपासन उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद मृतक गणेश भील की लाश का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। इधर मृतक के परिजन प्रार्थी श्याम लाल भील पिता रामा भील ने पुलिस को रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि मेरे भाई गणेश भील की रात्रि में कुएं में गिरने से मौत हुई है। मुझे कोई संदेह शंका नहीं है।

कार्यालय श्री साँवलियाजी मन्दिर मण्डल मण्डफिया जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/लेखा/श्रीसाँमम/2024-25/3794 दिनांक-18.03.2025

वाहन नीलामी सूचना

श्री साँवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया के विभिन्न पुराने वाहनों को सार्वजनिक खुली बोली निलामी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाना है। नीलामी बोली दिनांक 08/04/2025 को दोपहर 12:00 बजे से प्रारम्भ की जावेगी इसलिए नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति उसी दिन प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित धरोहर राशि रुपये 32,000/-मौके पर ही जमा करवाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। नीलामी से सम्बन्धित वाहनों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वाहन विवरण	पंजियन संख्या	न्यूनतम बोली राशि (रू.) में
1.	FARMTRAC - 45 TRACTOR	RJ 09 PA 0220	140000/-
2.	SONALIKA Mini Tractor GT-20	RJ 09 PA 0501	97000/-
3.	SONALIKA Mini Tractor GT-20	RJ 09 PA 0505	97000/-
4.	AMBULANCE (FORCE) Tempo Traveller	RJ 09 PA 2552	192600/-
5.	MAHINDRA BOLERO ZLX 2 WD	RJ 09 UA 6006	270000/-
6.	TOYOTA INNOVA 2.5 Z	RJ 09 UA 7272	500000/-
7.	TATA SAFARI VX	RJ 09 UB 5151	287000/-

शर्ते :- 1. बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व धरोहर राशि नकद अथवा डी.डी. के रुप में जमा करवाना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के अभाव में कोई भी बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। 2.डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवाने की स्थिति में डी0डी0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल मण्डफिया के नाम से देय होना चाहिये। 3.उच्चतम बोलीदाता की बोली को ही स्वीकार किया जावेगा। 4. वाहन को यथास्थिति में नीलाम किया जावेगा। 5. वाहनों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को मंदिर मण्डल के वाहन गेराज में जा कर किया जा सकता है। 6. अन्तिम/उच्चतम् बोली छूटने पर बोलीदाता को स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नकद/डी0डी0/NEFT द्वारा जमा करवानी होगी। शेष राशि 03 कार्य दिवस में एकमुश्त जमा करवाकर वाहन की सुपुर्दगी प्राप्त करनी है। 7. निर्धारित अवधि में वाहन राशि जमा नहीं करवाने एवं वाहन की सुपुर्दगी नहीं लेने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी। 8. किसी भी खुली बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा। 9. वाहनों के पंजियन, हस्तान्तरण शुल्क, तथा लगने वाले समस्त प्रकार के कर एवं व्यय इत्यादि बोलीदाता को स्वयं वहन करने होंगे जो स्वीकृत उच्चतम बोली के अतिरिक्त होंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी